

आदेश

कार्यवाही विवरण 32/2019

अनुपलाना  
में क्रमांक  
व दिनांक

कजोड़मल वरमा नरेश्वर

14.09.2021

पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उप0 एवं तहसीलदार उदयपुरवाटी उप0। तहसीलदार उदयपुरवाटी से तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट प्राप्त। बहस प्रा0 प0 मूल पर श्रवण की गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थी ने राजस्व रिकार्ड में शुद्धि/दुरुस्ती करवाने का निवेदन किया। बहस के दौरान वकील अप्रार्थीगण ने कथन किया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने पर कोई एतराज आपत्ति नहीं है। बहस श्रवण करने एवं पत्रावली पर मौजूद दस्तावेजात यथा पेन कार्ड, परिवार राशन कार्ड, आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, ग्राम पंचायत मैनपुरा, विद्युत बिल, बैंक पास बुक, अकं तालिका 10वी कक्षा, शपथ पत्र महेश कुमार, सतबीर, तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट दिनांक 14.09.2021 का अवलोकन करने पर पाते हैं कि प्रार्थी संख्या 1 का सही नाम कजोड़मल है तथा कैलाशचन्द एवं कजोड़मल दो अलग अलग व्यक्ति नहीं होकर एक ही व्यक्ति के नाम है, प्रार्थी संख्या 2 का सही नाम महेश कुमार है तथा महेश कुमार एवं मस्तान दो अलग अलग व्यक्ति नहीं होकर एक ही व्यक्ति के नाम है। उक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित व न्यायोचित प्रतित होता है।

आदेश

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अ0 धारा 136 एल. आर. एक्ट स्वीकार किया जाता है ग्राम गढला कलां पटवार हल्का गढला कलां तहसील उदयपुरवाटी की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 85, 86, 87, 97, 108, 111, 274, 275, 417 कुल किता 9 कुल रकबा 11.02 के राजस्व रिकार्ड में दर्ज प्रार्थी संख्या 1 का नाम कैलाशचन्द पुत्र चन्द्रा के बजाय कजोड़मल पुत्र चन्द्रभान एवं प्रार्थी संख्या 2 का नाम मस्तान पुत्र चन्द्रा के बजाय महेश कुमार पुत्र चन्द्रभान दुरुस्त/शुद्ध किये जाने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार तहसीलदार उदयपुरवाटी राजस्व रिकार्ड में नाम दुरुस्त करें। उक्त खसरा नम्बरान के शेष इन्द्राज बदस्तुर रहेंगे।

ख-ए-

(राम सिंह राजावत)

उपखण्ड अधिकारी  
उदयपुरवाटी (सुम्हुरी)

निर्णय आज दिनांक 14.09.2021 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

ख-ए-

(राम सिंह राजावत)

उपखण्ड अधिकारी  
उदयपुरवाटी (सुम्हुरी)